FEDEX SECURITIES PVT LTD
(Formerly Known as Fedex Securities Limited)
MERCHANT BANKING DIVISION

B7 Wing, Jay Chambers,
Dayaldas Road, Vile Parle (East),
Mumbai 400 057
T : +91 22 2613 6460 / 61
M : +91 81049 85249
E-mail: mb@fedsec.in • www.fedsec.in
CIN : U67120MH1996PTC102140

To,
The Listing Department
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai - 400 001.

Dear Sir/Madam,

Sub: Open Offer for acquisition up to 3,83,022 (Three Lakh Eighty-Three Thousand Twenty-Two) Fully Paid-Up Equity Shares of Face Value of Rs. 10/- (Rupees Ten Only) Each ("Equity Share"), representing the entire Public Shareholding constituting 26% of the Voting Share Capital of Justride Enterprises Limited (the "Target Company"), pursuant to and in compliance with the requirements of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 and subsequent amendments thereto.

With reference to the captioned matter, please find attached herewith Post-Offer Advertisement issued pursuant to and in accordance with Regulation 18(12) of the SEBI (SAST) Regulations, 2011. The same has also been published in all newspapers in which Detailed Public Statement was published (i.e Business Standard Newspaper (English and Hindi - All Editions), Metro Media (Hindi - New Delhi Edition) and Nav Shakti Newspaper (Regional - Mumbai Edition).

Request you to kindly take the above on record.

Thanking You,

Yours faithfully,

For Fedex Securities Private Limited

FEDEX SECURITIES PVT. LTD. MUMBAI

Yash Kadakia
Director
DIN: 08944355
SEBI Registration Code – INM000010163

Date: July 15, 2022
Place: Mumbai

POST OFFER ADVERTISEMENT UNDER REGULATION 18(12) OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011, AND SUBSEQUENT AMENDMENTS THERETO ("SEBI (SAST) REGULATIONS"), WITH RESPECT TO THE OPEN OFFER TO THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF

JUSTRIDE ENTERPRISES LIMITED

CIN: L74899DL1967PLC004704

Registered Office: Flat No. 133, C4E, Pocket No.11, Janakpuri, New Delhi -110058, Delhi, India
Tel No.: +91 88003 00490; Email: justridelimited@gmail.com; Website: www.justrideenterprises.in

OPEN OFFER FOR ACQUISITION UP TO 3,83,022 (THREE LAKH EIGHTY-THREE THOUSAND TWENTY-TWO) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF RS. 10/- (RUPEES TEN ONLY) EACH ("EQUITY SHARE"), AT AN OFFER PRICE OF RS. 8.15/- (RUPEES EIGHT AND FIFTEEN PAISE ONLY) EACH EQUITY SHARE, PAYABLE IN CASH, REPRESENTING THE 26% OF THE VOTING SHARE CAPITAL (AS DEFINED BELOW) OF JUSTRIDE ENTERPRISES LIMITED (THE "TARGET COMPANY"), BY JUST RIGHT LIFE LIMITED (FORMERLY KNOWN AS STEPPING STONE CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED) ("ACQUIRER 1") & MS. SUKRITI GARG ("ACQUIRER 2") (HEREINAFTER COLLECTIVELY REFERRED TO AS THE "ACQUIRERS"), PURSUANT TO AND IN COMPLIANCE WITH THE RQUIREMENTS OF THE SEBI (SAST) REGULATIONS.

This Post Offer Advertisement ("**Post-Offer Advertisement**") is being issued by Fedex Securities Private Limited (formerly Known as Fedex Securities Limited), ("**Manager/Manager to the offer**"), for and on behalf of Acquirers, in connection with the Open Offer to the Public Shareholders of the Target Company, in accordance with Regulation 18(12) of the SEBI (SAST) Regulations.

This Post Offer Advertisement is to be read in continuation of, and in conjunction with:

a) the Public Announcement dated April 20, 2022, in relation to the Offer ("**PA**");
b) the Detailed Public Statement ("**DPS**") that was published on April 27, 2022 in the Business Standard Newspaper (English and Hindi - All Editions), Metro Media (Hindi - New Delhi Edition) and Nav Shakti Newspaper (Regional - Mumbai Edition);
c) the Draft Letter of Offer ("**DLOF**") filed with the Securities and Exchange Board of India ("**SEBI**") on May 6, 2022;
d) the corrigendum to PA, DPS and DLOF which was published on June 6, 2022 in all the newspapers in which the DPS was published ("**Announcement cum Corrigendum**");
e) the Letter of Offer ("**LOF**") dated June 6, 2022 along with Form of Acceptance ("**FOA**") & Share Transfer Form.
(f) the Offer Opening Advertisement and Corrigendum to the Detailed Public Statement which was published on June 16, 2022 in all the newspapers in which the DPS was published ("**Advertisement Cum Corrigendum**").

Capitalised terms used but not defined in this Post Offer Advertisement shall have same meaning assigned to such terms in the LOF.

The Shareholders of the Target Company are requested to kindly note the following information relating to the Offer:

1.	Name of the Target Company	Justride Enterprises Limited
2.	Name of the Acquirers	Acquirer 1: Just Right Life Limited (Formerly known as Stepping Stone Constructions Private Limited)
		Acquirer 2: Ms. Sukriti Garg
3.	Name of Manager to the Offer	Fedex Securities Private Limited
4.	Name of the Registrar to the Offer	Skyline Financial Services Private Limited
5.	Offer Details	
	(a) Date of Opening of the offer	Friday, June 17, 2022
	(b) Date of Closure of the offer	Thursday, June 30, 2022
6.	Date of payment of consideration	July 14, 2022

7. Details of Acquisition

Sr. No.	Particulars	Proposed in the Open Offer Document		Actuals	
7.1.	Offer Price (per Equity Share)	Rs. 8.15		Rs. 8.15	
7.2.	Aggregate number of Equity Shares tendered	3,83,022 [a]		770	
7.3.	Aggregate number of Equity Shares accepted	3,83,022 [a]		770	
7.4.	Size of the Offer (Number of Equity Shares multiplied by offer price per Equity Share)	Rs. 31,21,630 [a]		Rs. 6,276	
7.5.	Shareholding of Acquirer before Share Purchase Agreements ("SPAs") and Public Announcement (Number of Equity Shares & % of Voting Share Capital)	Nil		Nil	
7.6.	Equity Shares Acquired by way of SPAs • Number • % of Fully Diluted Equity Share Capital	 10,75,704 [b] 73.02%		 10,75,704 [b] 73.02%	
7.7.	Equity Shares Acquired by way of Open Offer • Number • % of Fully Diluted Equity Share Capital	 3,83,022 [a] (26%)		 770 (0.05%)	
7.8.	Equity Shares Acquired after Detailed Public Statement ^ • Number of Shares Acquired • Price of the Shares Acquired • % of the Shares Acquired	Nil (0.00%)		Nil (0.00%)	
7.9.	Post Offer shareholding of Acquirers • Number • % of Fully Diluted Equity Share Capital	 14,58,726 [a] (99.02%)		 10,76,474 (73.07%)	
7.10.	Pre and Post Offer shareholding of Public Shareholders	**Pre – Offer**	**Post – Offer**	**Pre – Offer**	**Post – Offer**
	• Number • % of Fully Diluted Equity Share Capital	3,97,456 (26.98%)	14,434[a] (0.98%)	3,97,456 (26.98%)	3,96,686 (26.93%)

(a) *Assuming full acceptance of the Offer.*
(b) *The Acquirer has entered into the SPAs with the Seller, pursuant to which the Acquirers has agreed to acquire 10,75,704 equity shares and as on the date of this Post Offer Advertisement, the same is in the process of transfer.*
^ *Except those Equity Shares specified in Sr. No. 7.6 and 7.7 above.*

8. The Acquirer accepts full responsibility for the information contained in this Post Offer Advertisement and also for the obligations under SEBI (SAST) Regulations.
9. This Post Offer Advertisement is being issued in all the newspapers in which the DPS has appeared. A copy of this Post Offer Advertisement will be available on the website of SEBI (www.sebi.gov.in), BSE Limited (www.bseindia.com), the Target Company (www.justrideenterprises.com), Manager to Offer (www.fedsec.in) and Registrar to Offer (www.skylinerta.com)

ISSUED BY THE MANAGER TO THE OFFER ON BEHALF OF THE ACQUIRER

FEDEX SECURITIES PRIVATE LIMITED
B 7, 3rd Floor, Jay Chambers, Dayaldas Road, Vile Parle (East), Mumbai-400057, Maharashtra, India.
Tel No.: +91 81049 85249 **Fax No.:** 022 2618 6966 **E-mail:** mb@fedsec.in **Website:** www.fedsec.in
Contact Person: Yash Kadakia **SEBI Registration Number:** INM000010163 **Investor Grievance E-Mail:** mb@fedsec.in

Date: July 14, 2022
Place: Mumbai

Sunjeet Comm.

ईडी ने बंगाल के मंत्री मलय घटक को दिल्ली तलब किया

कोलकाता, मेट्रो मीडिया।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पश्चिम बंगाल में कोयला घोटाले से जुड़े मामले की अपनी जांच के सिलसिले में राज्य के कानून मंत्री मलय घटक को बृहस्पतिवार को तलब किया। केंद्रीय एजेंसी के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आसनसोल उत्तर सीट से विधायक घटक को शुक्रवार पूर्वाह्न 11 बजे नयी दिल्ली स्थित ईडी के दफ्तर में अधिकारियों के समक्ष उपस्थित होने को कहा गया है। ईडी ने सुशांतो महतो को भी तलब किया है जो राज्य में सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस के ही विधायक हैं और पुरूलिया जिला में बाघमुंडी सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं।

अधिकारियों ने बताया, महतो को भी शुक्रवार को पूर्वाह्न 11 बजे ईडी के दिल्ली स्थित दफ्तर में तलब किया गया है। घोटाले की जांच के सिलसिले में ईडी घटक को पहले भी तीन बार तलब कर चुकी है और वह जांच एजेंसी के अधिकारियों के समक्ष एक बार उपस्थित हुए थे। ईडी के अधिकारी ने कहा, हम यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या घटक और महतो की कोयला घोटाले में कोई भूमिका थी।

जांच एजेंसी ने घोटाले के सिलसिले में पूर्व में तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी रूजिरा नरूला बनर्जी से भी पूछताछ की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने नगालैंड सरकार की खिंचाई की

सुप्रीम कोर्ट ने शहरी स्थानीय निकायों में चुनावों को अधिसूचित करने में देरी पर फटकार लगाई।

नई दिल्ली,मेट्रो मीडिया।

सुप्रीम कोर्ट ने शहरी स्थानीय निकायों में चुनावों को अधिसूचित करने में देरी पर बृहस्पतिवार को नगालैंड सरकार की खिंचाई की और राज्य चुनाव आयोग को दो सप्ताह के भीतर चुनाव के कार्यक्रम के बारे में अवगत कराने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की पीठ ने कहा कि राज्य की ओर से हर स्तर पर महिलाओं के अधिकारों को बहाल रखने के प्रयास में देरी हुई है। पीठ ने कहा, ''जब मामला अदालत के समक्ष सूचीबद्ध होता है और सुनवाई शुरू होती है तब कुछ कदम उठाए जाते हैं। राज्य की विफलता के कारण अब राज्य चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचना देर से जारी की जाएगी।'' पीठ मामले में 29 जुलाई को अगली सुनवाई करेगी।

पीठ ने मामले का निपटारा करने से इनकार किया और कहा, ''राज्य सरकार जिस तरह से काम कर रही है, उस पर हमें कोई भरोसा नहीं है।'' शीर्ष अदालत नगालैंड नगरपालिका (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 2006 की धारा 23ए और राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार नगालैंड में सभी नगर पालिकाओं और नगर परिषदों के

लिए चुनाव कराने का अनुरोध करने वाले संगठन पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) और अन्य द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

सुनवाई की शुरुआत में, याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंजाल्विस ने कहा कि राज्य चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में संशोधन शुरू भी नहीं किया है क्योंकि उन्होंने राज्य सरकार से चुनावों को अधिसूचित करने का अनुरोध किया है कि क्या यह किया जा सकता है। गोंजाल्विस ने कहा कि शीर्ष अदालत द्वारा उन्हें पर्याप्त समय देने के बावजूद राज्य सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है।

राज्य की ओर से पेश महाधिवक्ता के एन बालगोपाल ने पीठ को सूचित किया कि वह इस मुद्दे में देरी नहीं कर रही है और सरकार ने मामले में अपनी प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। हालांकि, पीठ ने देरी पर नाराजगी व्यक्त की और कहा, आपने स्थानीय भावनाओं पर ध्यान नहीं दिया। आप 12 साल से महिलाओं के अधिकारों के साथ ऐसा व्यवहार करते रहे हैं। यह चौंकाने वाली स्थिति है। बालगोपाल ने पीठ को बताया कि हाल में राज्य में दो महिला अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति की गई है और कहा, ''हवा बदल रही है।'' हालांकि, पीठ ने कहा, हवा बहुत धीमी गति से चल रही है। इसे और तेज चलने की जरूरत है। नगालैंड सरकार ने इससे पहले शीर्ष अदालत को बताया था कि वह नगर निकायों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने पर सहमत हो गई है। सरकार ने कहा था कि नौ मार्च को हुई एक परामर्श बैठक में इस संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया गया था जिसमें सभी हितधारक मौजूद थे।

एक नजर

अदालत ने दलेर मेहंदी की अपील खारिज की

पटियाला, मेट्रो मीडिया। पंजाब स्थित पटियाला की अदालत ने पंजाबी गायक दलेर मेहंदी को मानव तस्करी (कबूतरबाजी) मामले में मिली दो साल की सजा के खिलाफ दायर अपील बृहस्पतिवार को खारिज कर दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एच.एस.ग्रेवाल द्वारा याचिका खारिज किए जाने के बाद पुलिस ने मेहंदी को हिरासत में ले लिया। अब उनका चिकित्सा परीक्षण कराया जाएगा। पटियाला की अदालत ने वर्ष 2003 में दर्ज मानव तस्करी के मामले में मार्च 2018 को मेहंदी को दो साल कैद और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। मेहंदी को मुचलके पर रिहा कर दिया गया था। पुलिस ने बख्शीश सिंह नामक व्यक्ति की शिकायत पर मेहंदी और उनके भाई शमशेर मेहंदी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। करीब 30 और शिकायतकर्ताओं ने भी मेहंदी बंधुओं पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। उनका आरोप था कि दोनों भाइयों ने उन्हें गैर कानूनी तरीके से अमेरिका पहुंचाने के लिए रुपये लिए थे, लेकिन वादे के अनुरूप अमेरिका पहुंचाने में असफल रहे थे। वहीं, जिस मामले में यह सजा हुई है, उसके शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि गायक ने उसे कनाडा पहुंचाने के लिए रुपये लिए थे।

तिब्बत की आज़ादी नहीं सार्थक स्वायत्तता की मांग है: दलाई लामा

जम्मू, मेट्रो मीडिया। तिब्बत के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने बृहस्पतिवार को कहा कि चीन में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है जिन्हें यह अहसास है कि वह 'स्वतंत्रता' की मांग नहीं कर रहे हैं बल्कि सार्थक स्वायत्तता और तिब्बती बौद्ध संस्कृति के संरक्षण की मांग कर रहे हैं। सभी विवादों का बातचीत के जरिए हल निकालने की पैरवी करते हुए दलाई लामा ने कहा कि सभी इंसान बराबर हैं और उन्हें 'मेरा देश, मेरी विचारधारा' वाली संकीर्ण सोच से ऊपर उठने की जरूरत है क्योंकि यही लोगों में लड़ाई का प्रमुख कारण है। दलाई लामा का यहां पहुंचने पर उनके अनुयायियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। उनके अनुयायी भारी बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए। बीते दो साल में हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से बाहर, उनकी यह पहली यात्रा है। वह शुक्रवार को लद्दाख जा सकते हैं।

सभी 15 मृतकों की हुई पहचान व सभी 55 घायल हुए स्वास्थ्य: उपराज्यपाल

कुमार सतीश

■ पवित्र गुफा पर हुए हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों को श्राइन बोर्ड देगा अतिरिक्त 5 लाख।

जम्मू। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज कहा है कि बीती 8 जुलाई को अमरनाथ यात्रा के दौरान पवित्र गुफा के पास घटी प्राकृतिक आपदा के कारण 15 लोगों की जाने गईं और 55 श्रद्धालु जख्मी हुए थे। जिनमें मृत सभी 15 श्रद्धालुओं की पहचान कर ली गई । उनमें से एक शव को छोड़कर शेष सभी के शव उनके पैतृक घरों को भेज दिए गए हैं। एक शव का दाह संस्कार मृतक के परिजनों की इच्छा अनुरूप यहां किया गया । लापता हुए श्रद्धालुओं के बाबत उनका कहना यह है कि जितने लोगों के लापता होने की आशंका जाहिर की गई थी, वह सभी सकुशल मिल गए हैं। इसलिए मोटे तौर पर इस प्राकृतिक त्रासदी के बाद सुरक्षाबलों द्वारा तमाम करण से चलाइए खोजी अभियान को खत्म कर दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि मीडिया में इस हादसे को लेकर आंकड़ों की बाबत कई प्रकार की खबरें चलती रही है। अधिकृत आंकड़े वही है जो वह आज खुद बता रहे हैं। मालूम हो कि इस त्रासदी के बाद प्रदेश शासन तथा श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड पर तमाम चला के तीखे सवाल खड़े हुए थे।

नेशनल कांफ्रेंस के प्रमुख एवं सांसद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से लेकर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती आदि तमाम नेताओं ने इस दुखद हादसे पर गहरा अफसोस जाहिर करते हुए तथा शासन पर तीखे हमले किए थे और इस दुखद हादसे की उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की है। लेकिन शासन तथा श्राइन बोर्ड की ओर से किसी भी प्रकार की जांच को लेकर कोई अधिकृत तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है। बीते शुक्रवार यानी 8 जुलाई को पवित्र गुफा के दाएं और से बादल फटने अथवा अत्यधिक बरसात होने के कारण हुए इस प्राकृतिक हादसे ने हर किसी को स्तब्ध कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गृह मंत्री अमित शाह तथा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं सांसद राहुल गांधी ने भी अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की थीं। तब मीडिया में मृतकों की संख्या 16 और लापता श्रद्धालुओं की संख्या 40 उल्लेखित की जा रही थी। लेकिन आज उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जोकि श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के चेयरमैन भी हैं,ने उक्त बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मृतक श्रद्धालुओं को 5 लाख की बीमा राशि के अलावा श्राइन बोर्ड की ओर से भी उनके आश्रितों को 5 लाखअतिरिक्त और दिए जाएंगे। प्राप्त जानकारी के मुताबिक पवित्र यात्रा मार्ग पर आंध्र प्रदेश के 66 वर्षीय एक श्रद्धालु कालावाला सुब्रमण्यम की हार्ट अटैक तथा एक घोड़े वाले इम्तियाज अहमद खान निवासी शंघस की यात्रा मार्ग पर वापसी में ।

मुंबई के पूर्व आयुक्त के खिलाफ धनशोधन का मामला दर्ज

नई दिल्ली, मेट्रो मीडिया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त संजय पांडे और एनएसई के पूर्व अधिकारियों चित्रा रामकृष्ण और रवि नारायण के खिलाफ धनशोधन का मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आरोपियों के खिलाफ यह कार्रवाई स्टॉक एक्सचेंज के कर्मचारियों के कथित अवैध फोन टैपिंग मामले को लेकर की गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के एक सप्ताह पहले इन सभी आरोपियों पर मामला दर्ज करने के बाद, ईडी ने सभी व्यक्तियों के खिलाफ पीएमएलए की आपराधिक धाराओं के तहत नया मामला दर्ज किया है। सीबीआई ने आरोप लगाया था कि नारायण और रामकृष्ण ने आईपीएस अधिकारी पांडे द्वारा स्थापित एक कंपनी को शेयर बाजार के कर्मचारियों के फोन कॉल को अवैध रूप से टैप करने के लिए जिम्मा सौंपा था।

'भारत जोड़ो' यात्रा दो अक्टूबर से पहले शुरू कर सकती है कांग्रेस

नई दिल्ली, मेट्रो मीडिया।

कांग्रेस कन्याकुमारी से कश्मीर तक प्रस्तावित अपनी 'भारत जोड़ो' यात्रा को पूर्वनिर्धारित तिथि दो अक्टूबर से पहले ही शुरू कर सकती है। मुख्य विपक्षी दल का कहना है कि 'मोदी सरकार तथा भाजपा लोकतंत्र, संविधान, राष्ट्र की संस्थाओं और समाज के सामाजिक ताने-बाने पर बार-बार हमले कर रही है', जिसके मद्देनजर इस यात्रा को गांधी जयंती से पहले ही शुरू करने पर विचार किया जा रहा है। 'भारत जोड़ो' यात्रा के क्रियान्वयन के संदर्भ में आज प्रदेश कांग्रेस कमेटियों, अग्रिम संगठनों के सभी अध्यक्षों और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें इस बारे में विस्तार से चर्चा हुई।

उदयपुर के 'नव संकल्प चिंतन शिविर' के दौरान यह घोषणा की गई थी कि 'भारत जोड़ो' यात्रा आगामी दो अक्टूबर को शुरू होगी। कांग्रेस ने एक बयान में कहा, मोदी सरकार तथा भाजपा द्वारा हमारे लोकतंत्र, हमारे देश के संविधान, राष्ट्र की संस्थाओं और हमारे समाज के सामाजिक ताने-बाने पर बार-बार और उग्र रुप से हो रहे हमलों को ध्यान में रखते हुए, कांग्रेस पार्टी 'भारत जोड़ो' यात्रा को निर्धारित तिथि से पहले शुरू करने की संभावनाओं पर विचार कर रही है। उसने कहा, भारत जोड़ो यात्रा लगभग 12 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों से होते हुए तकरीबन 3500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। यह सारी दूरी पदयात्रा के रुप में तय की जाएगी। इस पदयात्रा में कांग्रेस पार्टी का पूरा नेतृत्व और कार्यकर्ता भाग लेंगे। कांग्रेस ने समान विचारधारा वाले राजनीतिक दलों, नागरिक समाज समूहों, और व्यावसायिक संघों और उपरोक्त उद्देश्यों के प्रति प्रतिबद्ध लोगों का आह्वान किया कि वे यात्रा में शामिल हों।

गोवा में विपक्ष ने सरकार पर लगाया विधायक के अपमान का आरोप

पणजी, मेट्रो मीडिया।

गोवा विधानसभा में विपक्षी सदस्यों ने बृहस्पतिवार को राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि कांग्रेस के एक विधायक के नाम का जिक्र उनके विधानसभा क्षेत्र में शहीद दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम के आमंत्रण पत्र में नहीं कर उनका (विधायक का) अपमान किया गया। उल्लेखनीय है कि गोवा सरकार ने दक्षिण गोवा के कनकोलिम गांव में शहीद दिवस के अवसर पर शुक्रवार को सुबह साढ़े आठ बजे एक कार्यक्रम का आयोजन किया है।

कार्यक्रम में शरीक होने के लिए जिन लोगों को न्योता दिया गया है उनमें कांग्रेस विधायक यूरी अलेमाओ का नाम शामिल नहीं है, जो कनकोलिम विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं।

बृहस्पतिवार को विधानसभा का सत्र शुरू होते ही अलेमाओ ने उन्हें कार्यक्रम के लिए न्योता नहीं दिये जाने का मुद्दा सदन में उठाया और दावा किया कि यह उनका अपमान है क्योंकि वह स्थानीय प्रतिनिधि हैं।

कांग्रेस विधायक संकल्प अमोनकर, गोवा फॉरवर्ड पार्टी के विजय सरदेसाई और आम आदमी पार्टी के वेंजी वियगास अपनी सीट पर खड़े हो गये तथा राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा।

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सदन को बताया कि आमंत्रण पत्र में विधायक का नाम नहीं है क्योंकि यह एक संक्षिप्त कार्यक्रम है।

महाराष्ट्र में नगर परिषदों, नगर पंचायतों के चुनाव पर रोक

मुंबई, मेट्रो मीडिया। महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग ने उच्चतम न्यायालय में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण पर अगले सप्ताह होने वाली सुनवाई के मद्देनजर 92 नगर परिषदों और चार नगर पंचायतों के चुनाव पर बृहस्पतिवार को रोक लगा दी। आयोग ने यहां एक बयान में कहा कि 12 जुलाई को राज्य ओबीसी आयोग ने अपनी रिपोर्ट (अन्य पिछड़ा वर्ग के बारे में डेटा के साथ) उच्चतम न्यायालय को सौंप दी और मामले में अगली सुनवाई 19 जुलाई को निर्धारित की गई है। पिछले हफ्ते आयोग ने घोषणा की थी कि इन स्थानीय निकायों के चुनाव 18 अगस्त को ओबीसी आरक्षण के बिना होंगे।

पाकिस्तान को सबक सिखाए बिना संभव नहीं हैं कश्मीर में शांती: शिवसेना

जम्मू, मेट्रो मीडिया।

शिवसेना जम्मू कश्मीर ईकाई के प्रमुख मनीश साहनी ने पाक अधिकृत जम्मू-कश्मीर (पीओजेके) की जल्द जम्मू-कश्मीर में वापसी तथा कश्मीर में शांती बहाली कायम करने के साथ निर्दोष नागरिकों एवं सुरक्षा कर्मियों की शहादतों को रोकने के लिए पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाने की मांग की है।

जम्मू में पार्टी प्रदेश कार्यालय के समीप छन्नी चौक पर प्रदेश प्रमुख मनीश साहनी के नेतृत्व में पिछले मंगलवार श्रीनगर के अति सुरक्षित कहे जाने वाले लाल बजार में पुलिस नाके पर हुआ आतंकी हमला जिसमें एक पुलिसकर्मी शहीद हुआ हैं, से गुस्साए शिव सैनिकों ने अखंड जम्मू कश्मीर बनाना है, पीओजेके को वापिस लाना है , पाकिस्तान को सबक सिखाओ , आवाम का नारा है पीओजेके हमारा है प्लेकार्ड पकड़ ,पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और पाकिस्तान का झंडा फूंका। साहनी ने कहा कि कश्मीर में पाकिस्तान की नापाक हरकतों को बर्दाश्त करते तीन दशकों से ज्यादा का समय बीत चुका है और सात दशकों से ज्यादा समय से जम्मू कश्मीर की आवाम पीओजेके की भारत वापसी का इंतजार कर रहे हैं। धारा 370 एवं 35 ए को निरस्त करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी एवं गृहमंत्री ने अगला कदम पाक अधिकृत पीओजेके को वापिस लाना बताया था।

दलील हिन्दू धर्म में जब किसी मूर्ति की एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, तब उस स्थान की पूजा की जाती है।

हिंदू पक्ष की दलील: वक्फ की संपत्ति नहीं है ज्ञानवापी मस्जिद

वाराणसी, मेट्रो मीडिया।

ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले में वाराणसी की जिला अदालत में बृहस्पतिवार को हिन्दू पक्ष ने दलील देते हुए दावा किया कि ज्ञानवापी वक्फ की संपत्ति नहीं है और हिन्दू पक्ष का मुकदमा पूरी तरह सुनवाई करने लायक है। हिन्दू पक्ष अपनी दलील शुक्रवार को भी जारी रखेगा। शासकीय अधिवक्ता राणा संजीव सिंह ने बताया कि हिन्दू पक्ष के अधिवक्ताओं ने अदालत के समक्ष अपनी दलील में कहा कि मुस्लिम पक्ष ने ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है कि ज्ञानवापी मस्जिद वक्फ बोर्ड की संपत्ति है।

उन्होंने बताया कि हिन्दू पक्ष ने अपनी दलील में कहा कि क्योंकि ज्ञानवापी परिसर वक्फ की संपत्ति नहीं है, इसलिए यह मुकदमा पूरी तरह से सुनवाई योग्य है। सिंह ने कहा कि हिन्दू पक्ष के अधिवक्ताओं ने अदालत में दलील दी कि हिन्दू धर्म में जब किसी मूर्ति की एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, तब उस स्थान की पूजा की जाती है। हिन्दू पक्ष के अधिवक्ताओं ने अदालत को बताया कि तमिलनाडु के एक मंदिर में बिना किसी मूर्ति के पर्दे की पूजा होती है।

सिंह ने बताया कि हिन्दू पक्ष शुक्रवार को भी अपनी दलील जारी रखेगा। गौरतलब है कि राखी सिंह तथा अन्य ने ज्ञानवापी परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी में विग्रहों की सुरक्षा और नियमित पूजा पाठ के आदेश देने के आग्रह के संबंध में वाराणसी के सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की अदालत में याचिका दायर की थी जिसके आदेश पर पिछले मई माह में ज्ञानवापी परिसर की वीडियोग्राफी सर्वे कराया गया था। इस दौरान हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने में शिवलिंग मिलने का दावा किया था। सर्वे की रिपोर्ट पिछली 19 मई को अदालत में पेश की गई थी।

मुस्लिम पक्ष ने वीडियोग्राफी सर्वे पर यह कहते हुए आपत्ति की थी कि निचली अदालत का यह फैसला उपासना स्थल अधिनियम 1991 के प्रावधानों के खिलाफ है और इसी दलील के साथ उसने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया था।

POST OFFER ADVERTISEMENT UNDER REGULATION 18(12) OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011, AND SUBSEQUENT AMENDMENTS THERETO ("SEBI (SAST) REGULATIONS"), WITH RESPECT TO THE OPEN OFFER TO THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF

JUSTRIDE ENTERPRISES LIMITED

CIN: L74899DL1967PLC004704

Registered Office: Flat No. 133, C4E, Pocket No.11, Janakpuri, New Delhi -110058, Delhi, India
Tel No.: +91 88003 00490; Email: justridelimited@gmail.com; Website: www.justrideenterprises.in

OPEN OFFER FOR ACQUISITION UP TO 3,83,022 (THREE LAKH EIGHTY-THREE THOUSAND TWENTY-TWO) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF RS. 10/- (RUPEES TEN ONLY) EACH ("EQUITY SHARE"), AT AN OFFER PRICE OF RS. 8.15/- (RUPEES EIGHT AND FIFTEEN PAISE ONLY) EACH EQUITY SHARE, PAYABLE IN CASH, REPRESENTING THE 26% OF THE VOTING SHARE CAPITAL (AS DEFINED BELOW) OF JUSTRIDE ENTERPRISES LIMITED (THE "TARGET COMPANY"), BY JUST RIGHT LIFE LIMITED (FORMERLY KNOWN AS STEPPING STONE CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED) ("ACQUIRER 1") & MS. SUKRITI GARG ("ACQUIRER 2") (HEREINAFTER COLLECTIVELY REFERRED TO AS THE "ACQUIRERS"), PURSUANT TO AND IN COMPLIANCE WITH THE RQUIREMENTS OF THE SEBI (SAST) REGULATIONS.

This Post Offer Advertisement ("**Post-Offer Advertisement**") is being issued by Fedex Securities Private Limited (formerly Known as Fedex Securities Limited), ("**Manager/Manager to the offer**"), for and on behalf of Acquirers, in connection with the Open Offer to the Public Shareholders of the Target Company, in accordance with Regulation 18(12) of the SEBI (SAST) Regulations.

This Post Offer Advertisement is to be read in continuation of, and in conjunction with:

a) the Public Announcement dated April 20, 2022, in relation to the Offer ("**PA**");
b) the Detailed Public Statement ("**DPS**") that was published on April 27, 2022 in the Business Standard Newspaper (English and Hindi - All Editions), Metro Media (Hindi - New Delhi Edition) and Nav Shakti Newspaper (Regional - Mumbai Edition);
c) the Draft Letter of Offer ("**DLOF**") filed with the Securities and Exchange Board of India ("**SEBI**") on May 6, 2022;
d) the corrigendum to PA, DPS and DLOF which was published on June 6, 2022 in all the newspapers in which the DPS was published ("**Announcement cum Corrigendum**");
e) the Letter of Offer ("**LOF**") dated June 6, 2022 along with Form of Acceptance ("**FOA**") & Share Transfer Form.
(f) the Offer Opening Advertisement and Corrigendum to the Detailed Public Statement which was published on June 16, 2022 in all the newspapers in which the DPS was published ("**Advertisement Cum Corrigendum**").

Capitalised terms used but not defined in this Post Offer Advertisement shall have same meaning assigned to such terms in the LOF.

The Shareholders of the Target Company are requested to kindly note the following information relating to the Offer:

1.	Name of the Target Company	Justride Enterprises Limited
2.	Name of the Acquirers	Acquirer 1: Just Right Life Limited (Formerly known as Stepping Stone Constructions Private Limited)
		Acquirer 2: Ms. Sukriti Garg
3.	Name of Manager to the Offer	Fedex Securities Private Limited
4.	Name of the Registrar to the Offer	Skyline Financial Services Private Limited
5.	Offer Details	
	(a) Date of Opening of the offer	Friday, June 17, 2022
	(b) Date of Closure of the offer	Thursday, June 30, 2022
6.	Date of payment of consideration	July 14, 2022

7. Details of Acquisition

Sr. No.	Particulars	Proposed in the Open Offer Document		Actuals	
7.1.	Offer Price (per Equity Share)	Rs. 8.15		Rs. 8.15	
7.2.	Aggregate number of Equity Shares tendered	3,83,022 [a]		770	
7.3.	Aggregate number of Equity Shares accepted	3,83,022 [a]		770	
7.4.	Size of the Offer (Number of Equity Shares multiplied by offer price per Equity Share)	Rs. 31,21,630 [a]		Rs. 6,276	
7.5.	Shareholding of Acquirer before Share Purchase Agreements ("SPAs") and Public Announcement (Number of Equity Shares & % of Voting Share Capital)	Nil		Nil	
7.6.	Equity Shares Acquired by way of SPAs • Number • % of Fully Diluted Equity Share Capital	10,75,704 [b] 73.02%		10,75,704 [b] 73.02%	
7.7.	Equity Shares Acquired by way of Open Offer • Number • % of Fully Diluted Equity Share Capital	3,83,022 [a] (26%)		770 (0.05%)	
7.8.	Equity Shares Acquired after Detailed Public Statement ^ • Number of Shares Acquired • Price of the Shares Acquired • % of the Shares Acquired	Nil (0.00%)		Nil (0.00%)	
7.9.	Post Offer shareholding of Acquirers • Number • % of Fully Diluted Equity Share Capital	14,58,726 [a] (99.02%)		10,76,474 (73.07%)	
7.10.	Pre and Post Offer shareholding of Public Shareholders	Pre – Offer	Post – Offer	Pre – Offer	Post – Offer
	• Number • % of Fully Diluted Equity Share Capital	3,97,456 (26.98%)	14,434[a] (0.98%)	3,97,456 (26.98%)	3,96,686 (26.93%)

(a) Assuming full acceptance of the Offer.
(b) The Acquirer has entered into the SPAs with the Seller, pursuant to which the Acquirers has agreed to acquire 10,75,704 equity shares and as on the date of this Post Offer Advertisement, the same is in the process of transfer.
^ Except those Equity Shares specified in Sr. No. 7.6 and 7.7 above.

8. The Acquirer accepts full responsibility for the information contained in this Post Offer Advertisement and also for the obligations under SEBI (SAST) Regulations.
9. This Post Offer Advertisement is being issued in all the newspapers in which the DPS has appeared. A copy of this Post Offer Advertisement will be available on the website of SEBI (www.sebi.gov.in), BSE Limited (www.bseindia.com), the Target Company (www.justrideenterprises.com), Manager to Offer (www.fedsec.in) and Registrar to Offer (www.skylinerta.com)

ISSUED BY THE MANAGER TO THE OFFER ON BEHALF OF THE ACQUIRER

FEDEX SECURITIES PRIVATE LIMITED
B 7, 3rd Floor, Jay Chambers, Dayaldas Road, Vile Parle (East), Mumbai-400057, Maharashtra, India.
Tel No.: +91 81049 85249 **Fax No.:** 022 2618 6966 **E-mail:** mb@fedsec.in **Website:** www.fedsec.in
Contact Person: Yash Kadakia **SEBI Registration Number:** INM000010163 **Investor Grievance E-Mail:** mb@fedsec.in

Date: July 14, 2022
Place: Mumbai

Sunjeet Comm.